महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रु.वि. / सम्बद्धता / 2025 / 8080 - 94

दिनांक : 01.05.2025

महत्वपूर्ण

सेवा में,

1–समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।

2–समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध–राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हीटवेव प्रबन्धन, वज्रपात सुरक्षा एवं बाढ़ के सम्बन्ध में दिनांक 19.03.2025 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 1046 / सत्तर–3–2025, दिनांक 29 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्रांक : 203 / एक–11–2025, दिनांक 15.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया उक्त के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या ई–मेल आई0डी0 : draffiliationmjpru@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि समयान्तर्गत शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त निदेशक / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप कुलसचिव (प्रशासन / सम्बद्धता)।
10. उप कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)।
11. सहायक कुलसचिव।
12. निजी सचिव–कुलपति।
13. प्रभारी, वेबसाईट।
14. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव।

कुलसचिव

DR-2370
30/4/25

संख्या–1046/सत्तर–3–2025

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज।	2 कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2025

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हीटवेव प्रबन्धन, वज्रपात सुरक्षा एवं बाढ के संबंध में दिनांक 19–03–2025 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–203/एक–11–2025, दिनांक 15–04–2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों की अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Surya Prakash Mishra
Date: 29-04-2025 12:26:18

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

D.R. (Adm.)
30/4/25
कुलसचिव

Sr. Purjeet
30.04.25

1-11099/31/2021-राजस्व अनुभाग-11-राजस्व विभाग संख्या 1046 / सत्तर-3-2025 ई-ऑफिस/2025 I/935984/2025

दिनांक 16.4.25

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हीटवेव प्रबंधन, वज्रपात सुरक्षा एवं बाढ़ के संबंध में दिनांक 19.03.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हीटवेव प्रबंधन, वज्रपात सुरक्षा एवं बाढ़ के संबंध में दिनांक 19.03.2025 को लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी भवन) पंचम तल स्थित कमाण्ड सेन्टर में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

क्रम0	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री मनोज कुमार सिंह	मुख्य सचिव	उत्तर प्रदेश शासन
2	ले0ज0 योगेन्द्र डिमरी	उपाध्यक्ष	उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3	श्री प्रशान्त कुमार	पुलिस महानिदेशक	पुलिस विभाग
4	श्री आदित्य मिश्रा	महानिदेशक	अग्निशमन एवं आपात सेवायें
5	श्री हिमांशु कुमार	अपर मुख्य सचिव	ग्राम्य विकास विभाग
6	श्री एल0 वेंकेटश्वर लू	प्रमुख सचिव	परिवहन विभाग
	श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा	प्रमुख सचिव	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग
7	श्री पी0 गुरुप्रसाद	प्रमुख सचिव	राजस्व एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
8	श्री संजय प्रसाद	प्रमुख सचिव	गृह विभाग
9	श्री अमृत अभिजात	प्रमुख सचिव	नगर विकास विभाग
10	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	प्रमुख सचिव	पर्यटन विभाग
11	श्री के0 रविन्द्र नायक	प्रमुख सचिव	पशुधन विभाग
12	श्री एस0 सुन्दरम	प्रमुख सचिव	श्रम विभाग
13	श्री अनिल कुमार	प्रमुख सचिव	पंचायती राज और वन एवं पर्यावरण विभाग
14	श्री एम0पी0 अग्रवाल	प्रमुख सचिव	उच्च शिक्षा विभाग
15	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रमुख सचिव	ऊर्जा विभाग
16	श्री रविन्द्र	प्रमुख सचिव	कृषि विभाग
17	श्री बी0 चन्द्रकला	सचिव	महिला एवं बाल विकास विभाग
18	श्री अनुराग यादव	प्रमुख सचिव	आई0टी0 विभाग
19	श्रीमती कंचन वर्मा	महानिदेशक	स्कूली शिक्षा

(शिपू गिरि) विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन

निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन

20	श्री पंकज कुमार	प्रबंध निदेशक	उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0
21	श्री भानु चन्द्र गोस्वामी	सचिव एवं राहत आयुक्त	राजस्व विभाग
22	श्री राम केवल	सचिव एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	राजस्व विभाग/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ
23	श्री राजशेखर	प्रबंध निदेशक	जल निगम
24	श्री जी0एस0 प्रियदर्शी	आयुक्त	ग्राम्य विकास विभाग
25	श्री अनुज कुमार झा	निदेशक	स्थानीय निकाय
26	श्री शिशिर	निदेशक	सूचना विभाग
27	श्री मासूम अली सरवर	प्रबंध निदेशक	उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम
28	श्री राजेश कुमार त्यागी	निदेशक	पंचायती राज विभाग
29	श्री सतीश कुमार	सेनानायक	एस0डी0आर0एफ0
30	श्री अनिल कुमार पाल	उप सेनानायक	एन0डी0आर0एफ0
31	श्री मनीष रनालकर	निदेशक	मौसम विज्ञान विभाग
32	श्री वी0एन0 सिंह	परिवहन आयुक्त	परिवहन विभाग
33	डॉ0 रतन पाल सिंह	महानिदेशक	स्वास्थ्य विभाग
34	डॉ0 विकासेन्दु अग्रवाल	एस0एस0ओ0	स्वास्थ्य विभाग

2- उक्त बैठक में सर्वप्रथम मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उ0प्र0 राज्य हीटवेव एक्शन प्लान 2025 के साथ लखनऊ, आगरा एवं झांसी के हीटवेव सिटी एक्शन प्लान 2025 का लोकार्पण किया गया ।

3- उक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में ग्रीष्म काल में उच्च तापमान व दीर्घ अवधि तक प्रवाहित होने वाले हीटवेव के पूर्वानुमान के संबंध में भारत मौसम विज्ञान विभाग के श्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2025 में प्रदेश में हीटवेव का पूर्वानुमान है तथा अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। यह भी अवगत कराया गया कि उ0प्र0 में वर्ष 2024 में 436 हीटवेव के दिन दर्ज किये गये थे जो विगत 12 वर्षों में सर्वाधिक है। हीटवेव के अलर्ट के संबंध में प्रदेश स्थापित ए0डब्लू0एस0 एवं ए0आर0जी0 के माध्यम से प्राप्त आंकड़ो का उपयोग कर हीटवेव के खतरों का शमन एवं रोकथाम किये जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं हीटवेव के अलर्ट के लिये मानदण्ड के साथ-साथ अलर्ट, वार्निंग, इम्पैक्ट एवं एक्शन के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

4 - उक्त बैठक में हीटवेव (लू-प्रकोप) से निपटने के लिये राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भी प्रस्तुत किया गया तथा हीटवेव प्रबंधन हेतु अन्य स्टेकहोल्डर विभागों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

5- मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा हीट वेव के सम्बन्ध में सभी स्टेकहोल्डर विभागों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

(क) हीटवेव के दुष्प्रभाव विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों, अस्वस्थ व्यक्तियों एवं खुले क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों पर पड़ता है और हीटवेव से जनहानि होने पर परिवार प्रभावित होता है, इसका मुआवजा देकर भरपाई नहीं की जा सकती है। अतः हीटवेव के कारण होने वाली जनहानि न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- समस्त सम्बन्धित विभाग)

(ख) प्रदेश के कुछ जिलों में अभी से ही हीटवेव जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है। ऐसे में सभी विभागों को हीटवेव से बचाव के लिये विशेष सतर्कता बरतते हुये कार्य करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही- समस्त सम्बन्धित विभाग)

(ग) प्रदेश के जिलों एवं तहसील स्तर पर आम जनमानस को हीटवेव के कारण, बचाव तथ्यों का प्रचार प्रसार कराये जाने हेतु सूचना विभाग के माध्यम से सभी मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाया जाये तथा पूर्व में लगे हुये डिजिटल साइनेज पर भी हीटवेव से बचाव के लिये क्या करें, क्या न करें का प्रसारण सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/राहत आयुक्त)

(घ) भीड़ भाड़ वाली जगहों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा जगह-जगह पर प्याऊ लगाये जाये साथ ही महाकुम्भ में उपयोग में लाये गये वॉटर ए0टी0एम0 को प्रत्येक जिले में एक वॉटर ए0टी0एम0 भेजा जाये तथा उससे निःशुल्क पानी आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाये। शहर कस्बों एवं स्लम बस्तियों में हीटवेव से बचने के लिये विशेष रूप से पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ छाया की व्यवस्था भी की जाये।

(कार्यवाही- नगर विकास विभाग)

(ङ) हीटवेव के दौरान प्रदेश के जंगलों को अग्निकाण्ड से बचाने के लिये वन एवं अग्निशमन विभाग को सतकर्ता बढाने के निर्देश दिये गये ताकि शरारती तत्व जंगलों में आगजनी की घटना को अंजाम न दे पायें और इसके लिये पैट्रोलिंग और तेज की जाये। जंगली जीव जंतु/पशु-पक्षियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु तालाब/झीलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये इस हेतु वन रक्षक एवं वनकर्मियों की जवाबदेही तय की जाये तथा इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाये।

(कार्यवाही- वन विभाग/अग्निशमन विभाग)

(च) सभी चिकित्सालयों में बर्न वार्ड तथा हीटवेव वार्ड की विशेष व्यवस्था हो तथा अस्पतालों में हीटवेव से बचाव तथा हीटस्ट्रोक की जाँच के लिये पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किया जाये। अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 तथा आवश्यक दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध रहे तथा अस्पतालों में भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग)

(छ) स्कूली बच्चों को सेमिनार एवं अन्य माध्यम से हीटवेव को लेकर बरतने सतर्कताओं से अवगत कराया जाये तथा गर्मी को ध्यान में रखते हुये विद्यालय की समय अवधि में यथावश्यक परिवर्तन किया जाये तथा शिक्षकों और छात्र छात्राओं को हीटवेव व वज्रपात से बचाव व सुरक्षा हेतु जागरूक/प्रशिक्षित किया जाये। साथ ही साथ आम जनमानस को भी हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में जागरूक किये जाने हेतु धूप में न निकलें, भोजन कम खायें व पानी ज़्यादा पिये, कपड़ा सिर पर रख कर चलें आदि सतर्कताओं से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- शिक्षा विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग)

(ज) सभी ग्राम पंचायतों में पशुआश्रय स्थलों में पशुओं के पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा सभी तालाबों एवं पोखरों को भरने की व्यवस्था की जाये।

(कार्यवाही- पशुधन एवं पंचायती राज विभाग)

(झ) अग्निशमन विभाग के पास आधुनिक उपकरण आ गये है महाकुम्भ से वापस आये उपकरण जिलों एवं तहसील स्तरों पर यथावश्यकता भेजे जाये। अग्निशमन विभाग को शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली आग से बचाव के लिये ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय कर एक एस0ओ0पी0 जारी किया जाये। ऊर्जा विभाग गर्मी के दिनों में बिजली के रोस्टर में सुधार किया जाये और किसानों की फसल सिंचाई हेतु सुबह एवं शाम में बिजली फीडर से विद्युत सप्लाई की जाये तथा दिन के समय में लू तेज़ चलने की स्थिति में फीडर बन्द रखा जाये।

(कार्यवाही- अग्निशमन विभाग एवं ऊर्जा विभाग)

(ञ) पर्यटन स्थलों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं छाया की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धर्म स्थलों में दर्शन के रास्ते पर मैटिंग बिछाई जाये ताकि आम जनमानस को हीटवेव की परिस्थितियों से बचाया जा सके।

(कार्यवाही- पर्यटन विभाग)

(ट) सभी बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिये पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं छाया हेतु शेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और बस ड्राइवर एवं कंडक्टरों को भी हीट वेव

से बचाव के लिये प्रशिक्षित किया जाये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

(ठ) श्रम विभाग, कृषि विभाग, तथा अन्य सभी संबंधित विभागों को हीटवेव से बचाव के लिये अन्य संबंधित विभागों को पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी विभाग अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी कर सभी संबंधितों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ कर हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये जिस स्तर पर कमी हो उसकी जवाबदेही तय करें।

(कार्यवाही- सभी संबंधित विभाग)

6- वज्रपात/आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानियों को न्यून किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

(क) वज्रपात/आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिये हर जिले में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लगाये जाने के निर्देश दिये गये। सर्वाधिक वज्रपात वाले जनपदों के संवेदनशील क्षेत्रों में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तत्काल लगाये जाये, ऐसे जिलों में एस0एम0एस0 तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिये आम जनमानस को आकाशीय विद्युत गिरने से पहले ही अलर्ट पहुँचाया जाये। अर्ली वॉर्निंग सिस्टम से आने वाले अलर्ट से आम जनमानस को तत्काल सूचित करते हुये प्रधान एवं ग्राम सेवक को जवाबदेह बनाया जाये तथा समय समय पर जवाबदेही तय करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। हीटवेव से जुड़े हाई रिस्क वाले जिलों में वज्रपात की समस्या अधिक होने के दृष्टिगत इन जनपदों में अलर्ट के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये। आकाशीय बिजली/वज्रपात के जोखिम वाले जिलों में किसानों को अलर्ट करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग,
राहत आयुक्त कार्यालय एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

(ख) वज्रपात/आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानियों जागरूकता संवर्धन, प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण से रोका जा सकता है अतः वज्रपात से बचाव हेतु अवेयरनेस परियोजनायें तत्काल प्रभावी रूप से संचालित की जाये ताकि आकाशीय विद्युत से इस मॉनसून काल में जनहानियों में कमी आ सके।

(कार्यवाही- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा समस्त जनपद)

7- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के भवन निर्माण में अनावश्यक विलंब न करते हुये भवन को कार्यशील बनाये जाने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायी जाये।

(कार्यवाही- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

एवं कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग)

8- होम गार्ड एवं पी0आर0डी0 के जवानों को आपदा मित्रों के रूप में विकसित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- होम गार्ड विभाग/युवा कल्याण विभाग
एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

9- ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु शुरू होने के दृष्टिगत अभी से बाढ़ के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर बाढ़ के संबंध में यथोचित दिशा निर्देश जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- सिंचाई एवं राजस्व विभाग)

10- बाढ़ के समय वितरित की जाने वाली राहत सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा तय मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- राजस्व विभाग/खाद्य रसद विभाग
एवं समस्त जिलाधिकारी)

11- हीटवेव एक्शन प्लान की पुस्तक तथा भविष्य में प्रकाशित होने वाली अन्य आपदा की पुस्तकों को हिन्दी भाषा में प्रकाशित कराया जाये और प्रदेश के हर जिले के नगर निकाय तथा ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराई जाये ताकि आम जनमानस को जागरूक किया जा सके।

(कार्यवाही- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Signed by
Guru Prasad Porala)
Date: 15:18:53

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या- 203/एक-11- 2025
लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क/नगर विकास/वन/गृह/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/पर्यटन/श्रम/

परियहन/कृषि/लोक निर्माण/होमगार्ड/युवा कल्याण/सिंचाई एवं खाद्य रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

4- आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।

5- सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- सचिव एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7- महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, उत्तर प्रदेश।

8- महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।

9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश।

10- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश।

12- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

13- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

14- निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश।

15- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तर प्रदेश।

16- सेनानायक, एन0डी0आर0एफ0, उत्तर प्रदेश।

17- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

18- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।

19- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

20- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

21- निजी सचिव, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

22- राजस्व अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

23- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Om Prakash
(ओम प्रकाश यादव)
Date: 15-04-2025 16:47:47
संयुक्त सचिव।